



वैब साईट पर अपलोड करने वाले कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर— 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosco—साईट jodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

फ्रमांक:

दिनांक:

:: ई-विड सूचना संख्या: जोन-पूल 10 / 2020-21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु (वार्षिक दर संविदा के तहत) ऑनलाइन विड आमत्रित की जाती है, जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत धरोहर राशि, विड शुल्क निम्नानुसार Online SSO ID के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है:-

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	विड की क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑनलाइन विड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 27.08.2020 AM 9.30 बजे से
2	ऑनलाइन विड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक
3	ऑनलाइन विड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 27.08.2020 AM 9.30 बजे से
4	ऑनलाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1	दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक
5	विड शुल्क, धरोहर राशि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1	दिनांक 08.09.2020 PM 6.00 बजे तक
6	ऑनलाइन विड खोलने की दिनांक व समय	1	दिनांक 09.09.2020 PM 3.00 बजे

विड का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि(₹.)	विड शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1.	प्राधिकरण में संविदा पर टैक्टर मय ट्रोली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 की आपूर्ति करने वाले।	20.00	20000/-	500	12 माह	पूल

विड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- विड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इस विड में भाग लेने वाले संवेदकों को विड को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- विड की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- विड खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष विड खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- संवेदक को आवश्यकतानुसार टैक्टर मय ट्रोली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 उपलब्ध करवाने होंगे।
- विडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार विड खोले जाने के समय से पूर्व जरिये, ऑनलाइन SSO ID ऑनलाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है—

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	शुपतन का प्रकार	देय
1.	विड शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY FOR E-TENDERING के माध्यम से	संचित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत		संचित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-		MD RISL, JAIPUR

- प्रदत दरें विड खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक विड स्थीकृत हेत मान्य (Valid) रहेगी। यदि विडर्स उक्त अवधि में अपनी विड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी विड वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जट्ठ कर ली जावेगी।
- यदि संवेदक के नजदीकी रिस्टेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिवन्ध रहेगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं यिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न इस्ताकरक्ता को रहेगा।
- विडर्स को पिल भरते समय साथ में यिल शुल्क, धरोहर राशि, ई-टेंडरिंग शुल्क, Enlistment certificate, GST Registration की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जो विड प्रपत्र में घाटे गए ₹50 चार्ज कर लगाना अनिवार्य है।
- विड विवाग के आदेश संख्या एक 1(एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम रुपये में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.एस.एल.के पक्ष में य जयपुर में ऑनलाइन भुगतान योग्य होना चाहिये।
- नोटिशियरण की आवश्यकता होन पर ई-मेल व पत्र हांग लाक से सूचित किया जायेगा।

विड शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 50 लाख से कम अनुमानित लागत | रुपये 500 |
| 50 लाख से 160 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 1000 |
| 160 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 2000 |
| 500 लाख से अधिक अनुमानित लागत | रुपये 5000 |
- विडर्स को जी.एस.टी. प्राधिकरण पत्र यिल के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - विडर्स जो उपरोक्त दस्तावेज गये ईक्टर मय ट्रोली, जे.सी.बी, टाटा 407 आदि की स्थिति के नाम या किराये पर ली हुई होने का अनुमति आवश्यक होगी।

4. ई-टेंडरिंग के लिए विड दाता हेतु निर्देश:-
- इन विडों में दिलचस्पी लेने वाले विड दाता विड प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख / डाउनलोड कर सकते हैं।
 - विड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन विड में भाग लेने के लिए डिजिटन सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक विड में साईन करने हेतु काम आयेगा। विड दाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विविध दाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - विड दाताओं को विड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक विड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की विड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की रक्केन कॉपी विड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
 - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होग।
 - टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
15. विडर्स राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/वंदन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस विन्दु से उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध नहीं हों।
16. विड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट ए से डी विन्दु के भाग है जिनकी पूर्ति मय हस्ताक्षर अनिवार्य है।
17. अन्य शर्तें विड प्रपत्र में उल्लेखित अनुसार लागु होंगी।

अधिकारी अभियंता (जोन-मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक : 664-677

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. / जो.वि.वि.नि.लि. / जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
- अधिकारी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/आर.ओ.वी/पी.ए.इ./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
- कैशियर / नोटिस बोर्ड।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विड का <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।
- ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन/ ठेकेदार संघ सिवील जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी ठेकेदार संघ/।

दिनांक : 26-8-2020

अधिकारी अभियंता (जोन- मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्य का नाम :- प्राधिकरण में संविदा पर टैक्टर मय द्रोली, मजदुर मय औजार, जे.सी.बी, टाटा 407 की आपूर्ति करने बाबत।

:: शेड्यूल-“एच” ::

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	दर	
			(समस्त करों एवं जी.एस.टी सहित दी जानी अनिवार्य होगी)	अंक
1	जे.सी.बी मशीन (मुख्यालय से कार्य स्थल एवं वापसी तक परिवहन)	प्रति किलोमीटर		
2	जे.सी.बी (मशीन से अतिक्रमण हटाने/खुदाई इत्यादी कार्य)	प्रति घण्टा		
3	ट्रैक्टर व ट्रैक्टर द्रोली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट	प्रतिदिन		
4	टाटा 407	प्रतिदिन		
5	मजदुर मय आवश्यक औजार	प्रतिदिन		

शर्त/टिप्पणी :- बिडर्स को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भरते/अपलोड करते समय इनकी पूर्णालपेण पालना करनी चाहिए।

1. संवेदक को प्राधिकरण के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार कार्य करना होगा। बिड में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त बिडर्स द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में या किसी भी बिड अथवा उसके किसी भाग या सम्पूर्ण बिड को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का होगा।
3. बिड की अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष होगी एवं आवश्यकतानुसार आर.टी.पी.पी नियम 2013 के प्रावधान अनुसार समयावधि बढ़ाई जा सकती छें।
4. संवेदक को प्राधिकरण में आवश्यकतानुसार निर्देश देने पर तुरन्त आवश्यकतानुसार जे.सी.बी/ट्रैक्टर/टाटा 407/लेवर उपलब्ध करवाने होंगे।
5. वाहन संचालन का समस्त खर्च (भरमत, डीजल, ऑयल आदि) संवेदक को वहन करना होगा।
6. वाहन ड्राईवर (जे.सी.बी/ट्रैक्टर द्रोली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 संचालित हेतु) परिवहन विभाग द्वारा वैध लाईसेन्सधारी होना चाहिये।
7. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर देय होने पर कर की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। वाहन के समस्त वैध कागजात जिसमें पंजीयन, इंश्योरेन्स, फिटनेश जो भी वाहन संचालन में आवश्यक हो प्रस्तुत करने होंगे।
8. जे.सी.बी/ट्रैक्टर द्रोली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 खराब होने की स्थिति में या कार्य की आवश्यकतानुसार भाग होने पर संवेदक को तुरन्त दुसरी जे.सी.बी/ट्रैक्टर द्रोली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट/टाटा 407 उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध नहीं कराने पर बाजार से वाहन भंगवा लिया जायेगा, उसका जो भी किराया होगा, उससे दुगुनी दर से कटौती संवेदक के बिलों/जमा सुख्खा राशि में से की जायेगी।
9. संवेदक को विपत्र प्रभारी अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।
10. बिडर्स को पेन कार्ड एवं सर्विस टेक्स नं. की प्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
11. बिड के साथ जे.सी.बी, ट्रैक्टर व टाटा 407 की आरसी की प्रति अपलोड करनी होगी।

- राशि का सम्पादन—बयाना राशि पर निम्नलिखित मामलों में समृद्धत किया जायेगा।
- जब बिडर्स प्रदायनी हेतु आदेश देने के पश्चात् प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है :-
- (ब) जब बिडर्स विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
- (स) सफल बिडर्स को आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा स्वीकार की गई निविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति निष्पेप राशि घरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवानी होगी, इस राशि पर किसी प्रकार का व्याज आदि प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा।
- (द) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-
- रोकड़/बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स, जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय हो।
13. प्रतिभूति निष्पेप का सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्न मामले, में सम्पादन किया जावेगा।
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
- (ख) जब बिडर्स वाहनों का सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक तरीके से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निष्पेपकों समृद्धत करने के मामले में युक्ति—युक्त समयपूर्ण नोटिस दिया जायेगा तथा प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
15. वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/फर्म की रहेगी। पुलिस न्यायलय में विवाद की स्थिति में मुकदमें से संबंधित समस्त व्यय का वहन फर्म मालिक/वाहन चालक द्वारा किया जायेगा।
16. वाहन चालक को कार्य के दौरान मादक द्रव्यों का सेवन धुम्रपान वर्जित रहेगा।
17. प्रतिभूति निष्पेप का भुगतान समूर्ण निविदा के संतोषप्रद पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा।
18. किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग या सम्पूर्ण निविदा या विवाद की स्थिति में स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का होगा।
19. बिल से नियमानुसार राज्य सरकार व केन्द्र सरकार तथा स्थानीय निकाय द्वारा आदेशित करों की कटौती की जायेगी।
20. संवेदक द्वारा घोषणा करनी होगी कि मैंने उपरोक्त सभी शर्तों पढ़ ली हैं एवं सहमत हूँ।
21. बिडर्स एवं वाहन चालक अपना मोबाइल फोन निरन्तर चालू रखेंगे एवं स्विच ऑफ नहीं करेंगे ताकि आवश्यक परिस्थितियों में आप से सम्पर्क स्थापित किया जा सकें एवं पता (जोधपुर निवास एवं अन्य टेलीफोन से सम्पर्क रखना होगा।
22. कार्य के दौरान वाहन चालकों का वैध लाईसेन्स, आरसी, बीमा की मूल प्रति वाहन चालक के पास होनी आवश्यक है एवं राज्य सरकार के समस्त प्रकार के करों को वहन निविदादाता को करना होगा।
23. वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्घटनाकार के लिए संवेदक जिम्मेदार रहेगा।

24.8.2020
प्रभारी अधिकारी (पूल)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(संवेदक के हस्ताक्षर)

नाम :
स्थाई पता :
मोबाइल नं. :
पेन नं. :
सर्विस टेक्स नं. :

मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है। मैं एवं मेरी फर्म उपरोक्त सभी क्षर्तों का पालना करने को सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर संवेदक)